-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **चारपहिया वाहनो से खतरनाक स्टंट करने वाले युवको पर यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अन्य चारपहिया वाहन को सीज कर किया गया चालान।**

विवरण– पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो पर की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा चारपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट करने वाले एक अन्य वाहन को सीज करते हुए चालान किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 02.02.2026 व दिनांक 03.02.2026 को यातायात पुलिस खतरनाक स्टंट करने वालो पर कार्यवाही करते हुए 03 चारपहिया वाहनो को सीज करते हुए चालान किया गया था तथा अन्य वाहनो की तलाश की जा रही थी इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2026 को चारपहिया वाहनो से खतरनाक स्टंट करने वाले एक अन्य चारपहिया की पहचान करते हुए वाहन सं0 UP90 AB 0707 के मालिक प्रशांत पुत्र जुग्गीलाल निवासी महेश्वरी देवी वनौटा गली थाना कोतवाली नगर के वाहन को सीज कर चालान किया गया। साथ ही वाहन मालिक के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही अन्य वाहनों की भी पहचान/तलाश कर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

आमजनमानस से अपील है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह के खतरनाक स्टंट न करें यह अपने व आमजनमानस के लिए जानलेवा हो सकता है। कृपया यातायात नियमों का पालन करें।